Azadi Ka Amrit Mahotsav

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

आईआरडीएआई/पीपीएण्डजीआर/ओआरडी/सीएमटी/189/10/2023 31 अक्तूबर, 2023
IRDAI/PP&GR/ORD/CMT/189/10/2023 October 31, 2023

बैंकेश्योरेंस माध्यम संबंधी कार्य-बल

Taskforce on Bancassurance Channel

1. बीमा उत्पादों के वितरण में बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लागू विनियामक ढाँचे के अधीन बैंक कारपोरेट एजेंट के रूप में और / या मास्टर पालिसीधारक के रूप में बीमा उत्पादों के वितरण में सक्रिय हैं। जबकि बैंकों के पास यह विकल्प है कि वे बीमा दलालों के रूप में बीमा उत्पादों के वितरण के लिए एक अलग विधिक संस्था स्थापित करें, आज तक बैंकों के द्वारा ऐसे विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है।
   Banks play an important role in distribution of insurance products. Banks are engaged in the distribution of insurance products as Corporate Agent and / or as master policyholder subject to the applicable regulatory framework. While banks have the option to set up a separate legal entity for distribution of insurance products as Insurance brokers, till date, such option has not been exercised by banks.

2. देश के समूचे क्षेत्र में अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकों का बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद, कारपोरेट एजेंटों के रूप में बैंकों का अंशदान वर्ष 2022-23 में गैर-जीवन प्रीमियम का 5.93 प्रतिशत और जीवन बीमा के लिए नये व्यवसाय प्रीमियम का 17.44 प्रतिशत रहा है। अंतिम लक्ष्य तक पहुँचने तथा देश के कोने-कोने में बीमा उत्पाद उपलब्ध कराने का एक तरीका विस्तृत बैंक शाखा नेटवर्क का उन्नयन करना है।
   Despite the large network of Banks through their branches across length and breadth of the country, the contribution of Bank as corporate agents was 5.93 percent of Non-life premium and 17.44 percent of new business premium for life insurance in the year 2022-23. One of the ways of reaching the last mile and making available insurance products to the nook and corner of the country is leveraging the vast bank branch network.

3. इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि वर्तमान बैंकेश्योरेंस मध्यस्थता माडल की समीक्षा की जाए एवं पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण पर फोकस के साथ इसका अभिशासन करते हुए विनियामक ढाँचे में आशोधन, यदि कोई हों, लागू किये जाएँ।
   To achieve this objective, it is felt necessary to review the existing Bancassurance intermediation model and carry out modifications, if any, to the regulatory framework governing the same, with focus on the protection of policyholders' interest.

4. तदनुसार, एक कार्य-बल का गठन निम्नानुसार किया गया है:
   Accordingly, a taskforce is constituted as under:
   i) श्रीमती जे. मीना कुमारी, कार्यकारी निदेशक (जीवन), आईआरडीएआई – कार्य-बल की अध्यक्ष।
      Smt. J. Meena Kumari, Executive Director (Life), IRDAI – Chairperson of the Taskforce.

कार्य-बल के सदस्यः
Members of the Taskforce:

ii) श्रीमती यज्ञप्रिया भरत, मुख्य महाप्रबंधक (स्वास्थ्य), आईआरडीएआई
Smt. Yegna Priya Bharat, Chief General Manager (Health), IRDAI

iii) श्री सूर्यकुमार, मुख्य महाप्रबंधक (पर्यवेक्षण), आईआरडीएआई
Shri Surya Kumar, Chief General Manager (Supervision), IRDAI

iv) श्रीमती जे. अनिता, मुख्य महाप्रबंधक (मध्यवर्ती), आईआरडीएआई
Smt. J. Anita, Chief General Manager (Intermediaries), IRDAI

v) श्री डी. एस. मूर्ति, महाप्रबंधक (गैर-जीवन), आईआरडीएआई
Shri D.S. Murthy, GM (Non-Life), IRDAI

vi) निम्नलिखित बीमाकर्ताओं/कारपोरेट एजेंटों के प्रतिनिधिः
Representatives of the following insurers/corporate agents:

क. भारतीय स्टेट बैंक
a. State Bank of India

ख. एचडीएफसी बैंक
b. HDFC Bank

ग. पंजाब नैशनल बैंक
c. Punjab National Bank

घ. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
d. New India Assurance Company Limited

ङ. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
e. ICICI Lombard General Insurance Company Limited

च. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
f. Tata AIA Life Insurance Company Limited

छ. एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
g. HDFC Life Insurance Company Limited

ज. बजाज अलायंज़ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
h. Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

झ. आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
i. Aditya Birla Health Insurance Company Limited

ञ. चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
j. Cholamandalam MS General Insurance Company Limited

vii) श्री आर. के. शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक (पीपी एण्ड जीआर), आईआरडीएआई सदस्य-संयोजक होंगे।
Shri R.K. Sharma, CGM (PP& GR), IRDAI shall be the Member - Convener

उक्त कार्य-बल के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:
The terms of reference of the task force are as under:

i) विशेष रूप से इस वितरण माडल में प्राप्त हो रही अपविक्रय (मिस-सेलिंग)/जबरन बिक्री (फोर्स्ड सेलिंग) की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए बैंकेश्योरेंस भागीदारों की बाजार व्यवहार संबंधी आवश्यकताओ के विषय में विनियामक शर्तें सुझाना।
To suggest regulatory stipulations on the market conduct requirements of bancassurance partners, especially in view of mis-selling/forced selling complaints being received in this distribution model.

ii) बीमा मध्यस्थता के मौजूदा बैंकेश्योरेंस माडल की प्रभावकारिता का अध्ययन करना और इसकी प्रभावकारिता में सुधार लाने के तौर-तरीकों की सिफारिश करना।
To study the effectiveness of existing bancassurance model of insurance intermediation and recommend ways and means of improving the efficiency of the same.

iii) इस माडल में सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं की जाँच करना तथा देशी विनियामक अपेक्षाओं में उपयुक्त आशोधन, यदि कोई हों, सुझाना।
To examine the international best practices in this model and suggest suitable modifications, if any, to the domestic regulatory requirements.

iv) इस कार्य-बल के लिए निर्दिष्ट कोई अन्य संगत विषय।
Any other relevant matter referred to this task force.

उक्त कार्य-बल इस आदेश की तारीख से दो महीने की अवधि के अंदर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

The task force shall submit their recommendations within a period of two months from the date of this order.

सदस्य (जीवन) / Member (Life)